जून, 2019 माह में गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम

माननीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह ने चक्रवात 'वायु' से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए तैयारी की समीक्षा करने हेतु संबंधित राज्य और केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों की दिनांक 11.06.2019 को उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

2. माननीय प्रधानमंत्री के किरगीज गणराज्य के दौरे के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी) तथा किरगीज गणराज्य के नेशनल गार्ड्स ऑफ दि आर्म्ड फोर्सेस के बीच दिनांक 14.06.2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

3. केन्द्रीय गृह सचिव ने आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने पुलिस महानिदेशकों तथा अन्य अधिकारियों के साथ वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की विस्तृत समीक्षा करें।

4. सचिव (सीमा प्रबंधन) ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए मीडिया प्लान के अंतर्गत 12वें जनजाति युवा विनियम कार्यक्रम हेतु संशोधित प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए दिनांक 17.06.2019 को नेहरू युवा केन्द्र संगठन के साथ बैठक की।

5. चोरी और दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विस्फोटकों की मॉनीटरिंग तथा नियंत्रण पर चर्चा करने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के साथ दिनंक 20.06.2019 को विशेष सचिव (आई एस) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

6. सुरक्षा संबंधी व्यय स्कीम के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के रूप में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को 93.66 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

7. राज्य सरकारों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों के बारे में अवगत कराने हेतु 03 एडवाइजरी जारी की गईं।

8. भारत के राष्ट्रपति महोदय ने 3 राज्य विधेयकों, अर्थात् दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018, औद्योगिक विवाद (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2018 और पीईपीएसयू काश्तकारी तथा कृषि भूमि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2017 को सहमति प्रदान की।

9. आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए 44 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

10. पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्य की सहायता के लिए 10.71 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

11. सूचना सुरक्षा संबंधी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का प्रसार करने के लिए एक बुकलेट जारी की गई है तथा इसे गृह मंत्रलय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

12. अलविदा की नमाज और इद-अल-फीतर, अयोध्या में कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटियों, भारत के माननीय प्रधानमंत्री के शपथ-ग्रहण समारोह के संबंध में सुरक्षा इंतजाम, संसद की बाहरी परिधि की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, गुजरात, ओडिशा, जम्मू एवं कश्मीर में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 106 कंपनियां तैनात की गईं। दिनांक 16.06.2019 को संसद सत्र के प्रारंभ से लेकर संसद सत्र की समाप्ति तक के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पंजाब में घल्लुघारा सप्ताह, हैदराबाद शहर में शुक्रवार की नमाज, वार्षिक जगन्नाथ यात्रा (रथ यात्रा महोत्सव) तथा लेह में सिंधु दर्शन महोत्सव के संबंध में कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटियों के लिए।

13. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु 315.21 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

14. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम और नागालैंड राज्य सरकारों को 2970.48 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

15. दिनांक 24 जून, 2019 को मंत्रिमंडल ने मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 को संशोधित करने के लिए मानवाधिकार सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 को दोबारा पेश करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

16. त्रिपुरा से ब्रू परिवारों के मिजोरम में प्रत्यावर्तन हेतु दिनांक 03.07.2019 को हस्ताक्षरित करार के कार्यान्वयन हेतु समन्वय करने के लिए मॉनीटरिंग समिति की चौथी बैठक विशेष सचिव (आई एस) की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दिनांक 28.06.2019 को आयोजित की गई।

17. सम्पूर्ण नागालैंड राज्य को दिनांक 30.06.2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2261 (अ) के तहत सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम, 1958 के अंतर्गत दिनांक 30.06.2019 से छ: माह की अवधि के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है।

* * * * *